न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 01/2022

GCMS NO. : 2022/3

–: प्रार्थी :–

1. गिरधारी लाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. लक्ष्मी देवी पत्नी भालुराम जाति मेघवाल निवासी सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली।
2. तहसीलदार जैतारण।
3. पुरखाराम पुत्र पूना फौत के कायम मुकाम
   - 3.1 पेमाराम पुत्र पुरखा फौत के कायम मुकाम
     - 3.1.1 चन्द्रा देवी पत्नी पेमाराम
     - 3.1.2 गौतम पुत्र पेमाराम
     - 3.1.3 सुनिता पुत्री पेमाराम
     - 3.1.4 ममता पुत्री पेमाराम
   - 3.2 बाबूलाल पुत्र पुरखा
   - 3.3 मैना पुत्री पुरखा
   - 3.4 केली देवी पुत्री पुरखा
   - 3.5 सुगनी पुत्री पुरखा
   - 3.6 गीता पुत्री पुरखा
4. भंवरलाल पुत्र देवाजी
5. रतनाराम पुत्र देवाजी
6. भूरा पुत्र धन्नाजी
7. दामा पुत्र धन्नाजी
8. मानीग पुत्र धन्नाजी
9. भभूत पुत्र धन्नाजी
10. हापु पुत्र धन्नाजी फौत के कायम मुकाम
    - 10.1 गीता पत्नी हापु
    - 10.2 राकेश पुत्र हापु
    - 10.3 ममता पुत्री हापु
11. जैराम पुत्र धन्ना
12. अणदा पुत्र धन्ना सभी जाति सीरवी निवासीगण आगेवा तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:–11.01.2022

उपस्थितः–

1. श्री शाकीर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री बचनाराम पन्नू, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–30/06/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 602 क्षैत्रफल 1.8049 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की अकेले की तरमीम

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

शुदा खातेदारी भूमि है। नकल जमाबंदी व नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि के उत्तर पूर्व दिशा में अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी भूमि जो सरहद मौजा ग्राम आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण के खसरा संख्या 603 रकबा 1.3516 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। अप्रार्थीया संख्या 1 की उक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में चिपते ही खसरा संख्या 623 गै.मु. रास्ता आया हुआ है नकल जमाबंदीया अप्रार्थीया की खातेदारी एवं खसरा संख्या 623 की प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। खसरा संख्या 623 गै.मु. रास्ता से होते हुए प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 603 में स्थित रास्ते के जरिए आता जाता है। इस प्रकार प्रार्थी के खेत जाने हेतू एक मात्र रास्ता उक्त अप्रार्थीया के खेत में ही स्थित है परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में कोई इन्द्राज नही है जिस कारण अप्रार्थीया आये दिन प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा अड़चन पैदा करती है उक्त रास्ते व प्रार्थी तथा अप्रार्थीया की कृषि भूमि व गै.मु. रास्ता का नजरी नक्शा बनाकर इस वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया भू भाग मौके पर स्थित भाग है जो 15 फीट चौड़ा है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना कानूनन आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् कायम करने रास्ता श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए एक मात्र जो रास्ता है उसे नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका ही प्रार्थी द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है जो अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 603 में से चल रहा है व उक्त रास्ता वर्तमान में 15 फीट चौड़ा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ते का इन्द्राज नही होने से अप्रार्थीया ने दिनांक 02.01.2022 को प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने जाने एवं उपयोग उपभोग करने से मना कर दिया व मौके पर तारबंदी व जाली लगाकर रास्ते को पूर्णरूप से आवागमन हेतू अवरूद्ध कर बंद कर दिया है तथा अप्रार्थीया ने भविष्य में इस रास्ते का उपयोग नही करने बाबत् प्रार्थी को ऐलानिया कथन किया। जबकि प्रार्थी इस रास्ते का पिछले कई वर्षो से बिना किसी रोकटोक, निर्विवाद रूप से अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 602 में आने जाने एवं अपनी कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतू उपयोग उपभोग कर काम में लेता आ रहा है परन्तु यदि अब मात्र राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता इन्द्राज नही होने के आधार पर यदि अप्रार्थीया उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर देती है व प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतू आवागमन में रूकावट या बाधा पैदा करती है तो प्रार्थी अपने खेत में आ जा नही सकेगा तथा न ही काश्त व काश्त से संबंधित कोई कार्य कर सकेगा व न ही खड़ा [illegible] कटाई निराई गुड़ाई इत्यादि हेतू कृषि यंत्र ले जा सकेगा एवं प्रार्थी [illegible] मौके पर प्रार्थी अप्रार्थीया द्वारा किए जा रहे अवैधानिक कृत्यो [illegible] तो मौके पर वाद विवाद एवं लड़ाई झगड़ा होगा तथा मुकदमेबाजी बढ़ेगी तथा [illegible]दगिया पैदा होगी एवं प्रार्थी रास्ते के उपयोग उपभोग से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा तथा इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इसलिए अप्रार्थीया द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

नजरी नक्शा में वर्णित लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कराने के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र कायम करने रास्ता का प्रार्थी को ओर से खिलाफ अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतू अप्रार्थीया की भूमि में स्थित रास्ता जिसे नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं मौके पर जो 15 फीट चौड़ा रास्ता विध्यमान है उसे कायम रखा जावे। उक्त रास्ते की भूमि की एवज में भूमि का जो रकबा होगा उस रकबे के लिए प्रार्थी डी एल सी रेट से दुगुनी राशि अप्रार्थीया को अदा करने को तैयार एवं तत्पर है तथा राशि जमा कर नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजीयात तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में स्थित होने से श्रीमान के न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता बचनाराम पन्नू ने वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 1 को जवाब पेश करने हेतू अनेकानेक पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी पेश नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 3/1 से 12 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2022/66 दिनांक 09.02.2022 द्वारा चाही गई थी, भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा ने अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 07.03.2022 को पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 602 में जाने हेतू वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतू रास्ता की आवश्यकता आत्यधिक है। प्रार्थीगण की आराजी की पहुंच के लिए दो विकल्प है- विकल्प-1. खसरा संख्या 603 रकबा 1.3516 हैक्टर मे से 670×15 = 10050 वर्गफुट है जो कि खातेदारी भूमि है। विकल्प-2. खसरा संख्या 604 रकबा 0.3966 हैक्टर है जो कि सिवाय चक भूमि है, में से 486×15 वर्गफुट होते हुए खसरा संख्या 605 रकबा 1.3112 हैक्टर खातेदारी भूमि में से 184×15 वर्गफुट का है जिसमें सरकारी भूमि का क्षैत्रफल 7290 वर्गफुट एवं खातेदारी भूमि 2760 वर्गफुट बनता है। खसरा संख्या 604 व 605 में से प्र[illegible] रास्ता व्यावहारिक है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन [illegible] पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, भू. अभिलेख निरीक्षक आगेवा की तथ्यात्मक रिपोर्ट आ[illegible] का अध्ययन करते हुए अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आगेवा तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 602 क्षैत्रफल 1.8049 हैक्टर किस्म बारानी तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थी की आराजी के उत्तर पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण की आराजी है तथा इनके उत्तर दिशा में चिपते ही खसरा संख्या 623 गैर मुमकिन रास्ता आया हुआ है। अतः खसरा संख्या 623 गैर मुमकिन रास्ता से प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में से 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रदान किया जावे, जिसके लिए प्रार्थी राशि भुगतान करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए रास्ता स्वीकृत फरमावे।

2. अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से जवाब बंद किया गया। दीगर अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा से तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन चाहा गया। भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा द्वारा दिनांक 28.02.2022 को तैयार एवं दिनांक 07.03.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मय टीआरए रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 602 तक आगमन के लिए वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता नही है। प्रार्थी की रास्ता बाबत् मांग आत्यंतिक है। प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 602 तक पहुंच के लिए दो विकल्प प्रस्तावित है। 1. प्रथम विकल्प– खसरा संख्या 603 में से मार्क आर से एस 670 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा रास्ता जिसका रकबा 10050 वर्गफीट (933.67 वर्गमीटर) जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से है। 2. द्वितीय विकल्प– खसरा संख्या 604 सिवाय चक बारानी अव्वल भूमि में से मार्क ए से बी तक 486 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 7290 वर्गफीट अर्थात 677.27 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 605 अप्रार्थीगण संख्या 3 से 12 तक की खातेदारी भूमि में से मार्क बी से सी तक 184 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा कुल रकबा 2760 वर्गफीट अर्थात 256.41 वर्गमीटर है।

उपर्युक्त दोनो प्रस्तावित विकल्पो की भूमि मौके पर खाली पड़ी है। किसी प्रकार का निर्माण नही है। प्रस्तावित दोनो विकल्पो की दूरी व रकबा एकसमान है लेकिन द्वितीय विकल्प में अधिकांश भूमि सिवाय चक भूमि में से है, जबकि प्रथम विकल्प में सम्पूर्ण भूमि खातेदारी भूमि में से है अतः द्वितीय विकल्प को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

4. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः–

251– क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहां

(क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने की, की गई मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 602 तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नही है। यह उपलब्ध भू नक्शा तथा भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा की ओर से प्रेषित जांच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट है। अतः प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुंच मार्ग की मांग नही की गई है। भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रस्तावित द्वितीय विकल्प खसरा संख्या 623 गैर मुमकिन रास्ते से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 604 सिवाय चक बारानी अव्वल भूमि में से मार्क ए से बी तक 486 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 7290 वर्गफीट अर्थात 677.27 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 605 अग्र संख्या 3 से 12 तक की खातेदारी भूमि में से मार्क बी से सी तक 184 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा कुल रकबा 2760 वर्गफीट अर्थात 256.41 वर्गमीटर व रकबा 933.68 वर्गमीटर है, न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प होने के कारण स्वीकार्य योग्य है।

6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 1,91,128/– रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 19.12 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसका कुल रकबा 10050 वर्गफीट अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला-पाली

933.68 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 1,91,128/– रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 19.12 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 38.24 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 10050 वर्गफीट अर्थात 933.68 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि खसरा संख्या 604 की सिवाय चक भूमि का 24100/– रूपये (अक्षरे चौबीस हजार एक सौ रूपये मात्र) तथा खसरा संख्या 605 की खातेदारी आराजी हेतू प्रभावित अप्रार्थीगण खातेदारान् को 9900/– रूपये (अक्षरे नौ हजार नौ सौ रूपये मात्र) कुल 34,000/– (अक्षरे चौतीस हजार रूपये मात्र) निर्धारित की जाती है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्नम अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थी की जोत तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 623 गैर मुमकिन रास्ते से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 604 सिवाय चक भूमि में मार्क ए से बी तथा खसरा संख्या 605 अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में मार्क बी से सी की भूमि में से प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 602 की सीमा तक पहुंच के लिए भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 604 मार्क ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 486 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा जिसका 7290 वर्गफीट अर्थात 677.27 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 605 अप्रार्थीगण संख्या 3 से 12 तक की खातेदारी भूमि में से मार्क बी से सी तक 184 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा कुल रकबा 2760 वर्गफीट अर्थात 256.41 वर्गमीटर कुल रकबा 933.68 वर्गमीटर को खातेदारान् के कुल रकबे में से कम किया जाकर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना तथा इसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 34000/– रूपये में से सिवाय चक भूमि की प्रतिकर राशि 24,100/– रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करना तथा खसरा संख्या 605 की प्रभावित भूमि के लिए निर्धारित प्रतिकर राशि 9,900/– प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम आगेवा तहसील जैतारण जिला– पाली राज0 के खसरा नम्बर 602 रकबा 1.8049 हैक्टर किस्म बारानी की जमीन तक पहुंच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 623 गैर मुमकिन रास्ते से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 604 सिवाय चक बारानी अव्वल भूमि में से मार्क ए से बी तक 486 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 7290 वर्गफीट अर्थात 677.27 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 605 अप्रार्थीगण संख्या 3 से 12 तक की खातेदारी भूमि में से मार्क बी से सी तक 184 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा कुल रकबा 2760 वर्गफीट अर्थात 256.41 वर्गमीटर कुल रकबा 933.68 वर्गमीटर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थीगण खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा सिवाय चक भूमि एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:09:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 10050 वर्गफीट अर्थात 933.68 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 34,000/– रूपये (अक्षरे चौतीस हजार रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि में से सिवाय चक भूमि की प्रतिकर राशि 24,100/– रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करे तथा खसरा संख्या 605 की प्रभावित भूमि के लिए निर्धारित प्रतिकर राशि 9,900/– रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् के मध्य रकबा व हिस्से के अनुपात में भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू–अभिलेख में रास्ता अमल–दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भु अभिलेख निरीक्षक आगेवा द्वारा तैयार दिनांक 28.02.2022 की फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, (जिला–पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

निर्णय आज दिनॉक 30/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested